संख्या-13/2018/2278/41-2017-425/12

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 15 फरवरी, 2018**

विषय-जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-रवही में टूरिस्ट फैसिलिटी सेन्टर के निर्माण कार्य की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3604/6-1-1(398ए)/2012, दिनांक 06.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत योजना जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-रवही में पर्यटन सुविधा केन्द्र हेतु फास्ट-फूड कार्नर एम्यूजमेन्ट सेन्टर, जन सुविधा पार्क आदि के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन की लागत रू0 445.44 लाख (रूपये चार करोड पैंतालीस लाख चौवालीस हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 28/2016/464/41-2016-425/12, दिनांक 10.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-17-जनपद सिद्धार्थनगर में बौद्धसंग्रहालय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत से लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-20-दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सडकों का सुद्धढीकरण-24-वृहत निर्माण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 50.00 लाख धनराशि (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-03/2017/2079(1)/41-2016-425/12, दिनांक 04.01.2017 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- महानिदेशक, पर्यटन के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 2016 से संचालित है जिसके क्रियान्वयन हेतु योजना की स्वीकृत लागत रू0 445.44 लाख के सापेक्ष रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका पूर्ण उपयोग कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा कर लिया गया है। योजना के स्वीकृत स्वरूप के अनुसार क्रियान्वयन हेतु अभी रू0 295.44 लाख की आवश्यकता है, किन्तु प्रश्नगत योजना मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना में अब तक व्यय हुई धनराशि के दृष्टिगत इसे जन उपयोगी बनाये के स्तर तक क्रियान्वित किये जाने हेतु रू0 59.77 लाख धनराशि की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. अत: महानिदेशक, पर्यटन के प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम-रवही में पर्यटन सुविधा केन्द्र हेतु फास्ट-फूड कार्नर एम्यूजमेन्ट सेन्टर, जन सुविधा पार्क आदि के निर्माण हेतु संचालित योजना को जन उपयोगी बनाये जाने हेतु रू0 59.77 लाख (रूपये उनसठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 में पूँजी लेखा के लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित/उपलब्ध धनराशि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि से उक्त स्थल को जन उपयोगी बनाया जायेगा तथा इस योजना हेतु अब पृथक से कोई धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

(4) प्रायोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या-13/2018/2278/41-2017-425/12 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।